



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 350) पटना, शुक्रवार, 12 जून 2020

सं० 08/आरोप-01-107/2014-4827/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
21 मई 2020

श्री सामदेव नारायण दास, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-636/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ) के विरुद्ध ऑगनबाड़ी सेविका की बहाली के नाम पर रिश्वत लेने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, सरकारी दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने आदि का आरोप जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-594 दिनांक 11.03.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया। जिला पदाधिकारी, भभूआ द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र पंचायती राज विभाग के पत्रांक-3196 दिनांक 05.05.2014 द्वारा उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

श्री दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-14145 दिनांक 21.09.2015 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री दास द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 22.04.2016 को विभाग में समर्पित किया गया।

श्री दास के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी सम्यक विचारोपरांत आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3448 दिनांक 13.06.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 8950 दिनांक 24.06.2016 द्वारा श्री दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक-1235 दिनांक 04.04.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें दो आरोप प्रमाणित एवं एक आरोप अप्रमाणित बताया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-5975 दिनांक 06.05.2019 द्वारा श्री दास से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री दास द्वारा अपना लिखित अभिकथन दिनांक 19.06.2019 विभाग में समर्पित किया गया।

श्री दास के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री दास द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत श्री दास से प्राप्त लिखित अभिकथन अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है :-

1. निन्दन तथा
2. संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियों पर रोक।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव के कंडिका-02 पर विभागीय पत्रांक-603 दिनांक 14.01.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 06.03.2020 को आहुत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री दास के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव (यथा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त मंतव्य/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3378 दिनांक 17.03.2020 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सामदेव नारायाण दास (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 636/11, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी को प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है:-

(i) निंदन (वर्ष-2013-14) तथा

(ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 350-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>